माननिय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा॥म0प्र0॥
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

III/पुनर्विलोकन/सिंगरौली/भू0रा0/2017/2936

1- राजनाथ शाह तनय स्व. नाहर शाह उम्र-83 वर्ष, -- | दोनो पेशा-खेती,
2- शोभाई तनय स्व. इन्दल शाह उम्र-54 वर्ष, --- |
सा0 गनियारी, तहसील व जिला सिंगरौली॥म0प्र0॥-- -निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम
======

म0प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - - गैरनिगरानीकर्ता/ अनावेदक

श्री अरुण कुमार साहू अभि0 द्वारा आज दि. 30-8-17 को प्रस्तुत

30.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन बावत् माननिय न्यायालय के उन्मानी निगरानी क्रं. - थर्ड/निग./सिंगरौली/भू.रा./2017/1789-तीन मे पारित आ0 दिनांक-11.08.17 को निरस्त किये जाने।
==================================

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0 रा0-संहिता 1959
==================================

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत है:---

॥1॥-यहकि उन्मानी निगरानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 43 के वर्जन के आधार पर अप्रचलन शील माना जाकर निरस्त की गई है जबकि धारा 43 C.P.C. मे ऐसा कोई वर्जन है ही नही|बल्कि उसमे तो यह उपबन्धित है कि जिन स्थानो पर इस संहिता का विस्तार नही है वहॉ के सिविल न्यायालयो द्वारा पारित डिक्रीयो का निष्पादन किया जासकता है या नही जिस कारण माननीय न्यायालय का आ0 दि0 11.08.17 पुन: विचार मे लिये जाने के ठोस बैधानिक आधार प्रकरण मे विद्यमान है।

॥2॥-यहकि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सुलह समझौता आवेदन किसी भी विधि के विपरीत नही था उसमे वर्णित समझौता की शर्ते प्रश्नाधीन भूमि के ही संबंध मे थी, क्योकि आवेदक क्रं. -2 शोभई द्वारा बिवादित भूमि आवेदक क्रं0-1 राजनाथ _

2पर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/सिंगरौली/भू.रा./2017/2936

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
6–11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू एवं अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सिंगरौली/भूरा/2017/1789 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत रिव्यु प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सिंगरौली/भूरा/2017/1789 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2017 में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1313/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.5.17 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की थी उसमें अपर आयुक्त रीवा ने उभय पक्ष के बीच हुये राजीनामे के आधार पर अपील प्रकरण का निराकरण किया है, **व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 43 में वर्जन है** कि दोनों पक्षों के मध्य कोई सहमति हो जाती है और समझौते के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, ऐसे आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इस आदेश से परिवेदित होकर इस न्यायालय में रिव्यु प्रस्तुत किया गया है।	

सिंगरौली

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 43 के वर्जन के आधार पर अप्रचलनशील माना जाकर निरस्त की गई है, जबकि धारा 43 सी.पी.सी. में ऐसा कोई वर्जन है ही नहीं बल्कि उसमें तो यह उपवन्धित है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिकीयों का निष्पादन किया जा सकता है या नहीं जिस कारण माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 11.8.17 पुनः विचार में लिये जाने के ठोस वैधानिक आधार प्रकरण में विद्यमान है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सुलह समझौता आवेदन किसी भी विधि के विपरीत नहीं था। उसमें वर्णित समझौता की शर्ते प्रश्नाधीन भूमि के ही संबंध में थी क्यों कि आवेदक कमांक–2 शोमई द्वारा विवादित भूमि आवेदक कमांक–1 राजनाथ को विधिवत अन्तरित किया जाना एवं उस अन्तरण से हुये वैद्य हित अर्जन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 10.1.95 को सही होना स्वीकार किया गया था एवं समझौता आवेदन में यह भी सहमति दी गई थी कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के अपील में पारित आदेश दिनांक 26.8.13 को निरस्त करके न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के नामांतरण आदेश दिनांक 10.1.95 को यथावत रखा जाय एवं न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के इतलायावी आदेश दिनांक 4.9.13 को भी निरस्त किया जाय, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के आदेश दिनांक 26.8.13 एवं न्यायालय तहसीलार सिंगरौली के इतलायवी आदेश दिनांक 4.9.13

सिंगरौली

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/1/भू.रा./2017/2936

को निरस्त करने के बजाय यथावत रहने दिया गया है जिनके प्रभावी बने रहते तहसीलदार को नवीन आदेश पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस स्थिति में उक्त आदेश से आवेदकगण के सुलह समझौते को न तो स्वीकार ही किया गया और न निरस्त ही किया गया बल्कि ऐसा आदेश पारित कर दिया जिसका कियान्वयन करने को तहसीलदार को तब तक कोई अधिकारिता नहीं है जब तक तहसीलार द्वारा पारित इतलायवी आदेश दिनांक 4.9.13 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.13 निरस्त किये जावे । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक का रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जावे तथा प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सिंगरौली/भूरा/2017/1789 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2017 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा राजीनामा दिनांक 9.5.17 स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/1789 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2017 में यह वर्जन दिया गया है कि **व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 43 में** वर्जन के आधार पर समझौता के आधार पर अपील/निगरानी नहीं की जा सकती। मेरा ध्यान अधिवकता द्वारा इस ओर कराया गया है कि यह **1908 की धारा 43** इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। यह वर्जन त्रुटिपूर्ण उद्वरित किया गया है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सुलह समझौता आवेदन

किसी भी विधि के विपरीत नहीं था। उसमें वर्णित समझौता की शर्ते प्रश्नाधीन भूमि के ही संबंध में थी क्यों कि आवेदक कमांक–2 शोमई द्वारा विवादित भूमि आवेदक कमांक–1 राजनाथ को विधिवत अन्तरित किया जाना एवं उस अन्तरण से हुये वैद्य हित अर्जन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 10.1.95 को सही होना स्वीकार किया गया था। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के अपील में पारित आदेश दिनांक 26.8.13 को निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय तहसीलार सिंगरौली के इतलायवी आदेश दिनांक 4.9.13 को भी निरस्त किया जाता है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/1789 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2017 में **व्यवहार प्रंकिया संहिता 1908 की धारा 43** का वर्जन लागू नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सिंगरौली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दिनांक 9.5.17 के राजीनामा के आधार पर आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य